न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, म.प्र.

गावेन्द्र सिंह तनय भइया बहादुर सिंह उर्फ मंगल सिंह, पेशा कृषि, निवासी ग्राम छींदा, तहसील नागौद, जिला–सतना म.प्र..निगराकार

बनाम

अखिल सिंह तनय गिरीश सिंह उर्फ मंगल सिंह, निवासी कृपालपुर, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र..गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का.मा.
विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के राजस्व अपील क्र.100/14–15 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2016

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगराकार द्वारा अपने स्वामित्व की आराजियातों में जो पिता का नाम गलत रूप से अंकित था, उसका सुधार विचारण न्यायालय तहसीलदार रघुराजनगर से जरिए प्र.क्र.49अ6अ/13–14 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2013 के अन्तर्गत कराया गया, जिसमें गैरनिगराकार का किसी प्रकार से हक, स्वामित्व निहित न होने के बावजूद भी मात्र निगराकार की आराजी को विवादित करने के सआशय से अपना नाम गावेन्द्र होना व्यक्त करते हुए माननीय दीवानी न्यायालय षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सतना के समक्ष घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 931–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–01–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एस0 सेंगर एवं अनावेदक अभिभाषक श्री एन0डी0 शर्मा द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रघराजनगर के प्रकरण कमांक 100/14–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 9–2–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार रघुराजनगर के प्रकरण कमांक 49/अ–6–अ/13–14 में पारित आदेश दिनांक 5–8–2013 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जहां आवेदक(उत्तरवादी) के अभिभाषक ने प्रकरण में उपस्थित होकर दिनांक 9–10–15 को आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक की ओर से उक्त आपत्ति का जबाव में आदेश 41 नियम 27 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात यह पाया कि अपील प्रथम दृष्टया ग्राहय की जा चुकी है तथा उभयपक्षों के उपस्थित होने तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल प्रकरण प्राप्त हो जाने के कारणअपील का गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जाना उचित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति के समस्त बिन्दु प्रकरण की मेरिट से संबंधित पाते हुये आवेदक की प्रारंभिक आपत्ति निरस्त की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण का	

गुण–दोष के आधार पर विधिसंगत निराकरण करने के लिए उभय पक्ष को दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में उचित माना है तथा धारा 05 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पत्र के जबाव हेतु नियत किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 9–2–16 में कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जहां तक आवेदक के इस तर्क का प्रश्न है कि अनावेदक द्वारा फर्जी रूप से गावेन्द्र बनकर अपील प्रस्तुत की गई है तो इस तथ्य का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष होना बाकी है। अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज पेश करने के उपरांत अंतिम तर्क सुने जाना है जिसके आधार पर प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जायेगा। वर्तमान में इस निगरानी में कोई आधार नहीं है जिसका निराकरण इस न्यायालय में किया जाना है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–16 स्थिर रखा जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी को दोनों पक्षों को विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरांत गुण–दोषों के आधार पर निराकरण हेतु प्रकरण वापस भेजा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य